

राजस्थान विधान सभा

कार्य सलाहकार समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2011 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्रम (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने सत्रहवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया कि दिनांक 27 अगस्त, 2011 से 29 अगस्त, 2011 तक सदन में अग्रोत्तर लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाय :-

शनिवार, दिनांक 27 अगस्त, 2011	<ol style="list-style-type: none">1- वर्ष 2011-2012 (प्रथम संकलन) अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।2- वर्ष 2006-2007 के लिये अतिरेक मांगों पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।3- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011;4- राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011; एवं - पर विचार एवं पारण।5- कथित रूप से बढ़ रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों पर विचार।
रविवार, दिनांक 28 अगस्त, 2011	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 29 अगस्त, 2011	<ol style="list-style-type: none">1- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011;2- राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011;3- राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 20114- राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011; एवं5- नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) के संबंध में शासकीय संकल्प; - पर विचार एवं पारण।6- कथित रूप से बढ़ रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों पर अग्रोत्तर विचार।

दीपेन्द्र सिंह शेखावत

पदेन सभापति

विधान सभा भवन,

जयपुर ।

दिनांक 26 अगस्त, 2011

- नोट :-
1. उपरोक्त कार्य के बटवारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
 2. शनिवार, दिनांक 27.8.2011 को प्रश्नकाल एवं शून्यकाल नहीं होगा।